

कथन — प्रतीक पटेल

थाना	— राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर
अपराध क्रमांक	— 09/15
धारा	— 13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	— प्रतीक पटेल पिता श्री प्रकाश पटेल
उम्र	— 27 वर्ष
पता	— ग्राम मैनपुर थाना +तह0 मैनपुर जिला गरियाबंद (छ0ग0)
मोबाईल नं0	— 70249-01887
व्यवसाय	— संचालक स्वास्तिक राईस मिल देवभोग जिला गरियाबंद

—00—

मैं प्रतीक पटेल पूछे जाने पर बता रहा हूँ कि मैं स्वास्तिक राईस मिल को मोहम्मद आसिफ मेमन के साथ पार्टनरशीप में संचालित कर रहे है। यह मिल मोहम्मद रफीक के नाम से है जिसे इस वर्ष 7 लाख 11 हजार रु. में एक साल में किराये से लिये है। मिल की क्षमता 2 टन प्रति घंटा है। वर्ष 2014-15 में धान का अनुबंध 16000 क्विंटल मार्फेड से हुआ है। पूरा धान लाकर 40 लाट चावल तैयार कर नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कर चुका हूँ। मेरा 4-5 लाट चावल को नान में क्वालिटी इंस्पेक्टर रिजेक्ट कर चुका है। देवभाग में नान का गोदाम है, यहां पर सिकंदर सोम क्वालिटी इंस्पेक्टर और जिला प्रबंधक गरियाबंद मोतीलाल साहू है। देवभोग में नान के गोदाम स्पेस की समस्या हमेशा रहती है। मैं नान के अधिकारी कर्मचारी को चावल जमा करने स्पेस बनाने के लिये किसी प्रकार का लेन देने नहीं करता हूँ। मानक स्तर पर चावल तैयार कर नान में जमा करता हूँ। नान के गोदाम में चावल को अनलोड करने एवं स्टेकिंग के लिये हमालो को 3000 रुपये प्रति लाट हमालो के प्रमुख को देता हूँ। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015



(एस.जी.देवस्थले)

निरीक्षक

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर (छ.ग.)